कार्यालय– मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, जयपुर महानगर–द्वितीय

क्रमांक – 2351

दिनांक– 28/07/2023

– कार्यालय आदेश –

(न्यायिक जांच अंतर्गत धारा 176 द.प्र.सं. अगस्त, 2023)

मैं, दीप्ति श्रीवास्तव, मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, जयपुर महानगर–द्वितीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 15(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माह **अगस्त, 2023** में जयपुर महानगर द्वितीय के क्षेत्राधिकार में पुलिस अभिरक्षा में अन्वेषणाधीन बन्दी, केन्द्रीय कारागृह, जयपुर महानगर द्वितीय में विचाराधीन/सजायाफ्ता बन्दी अथवा अन्य ऐसे व्यक्ति जिनकी मृत्यु की जांच विधिक रूप से न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाना आवश्यक हो, उनकी अप्राकृतिक/संदिग्ध मृत्यु होने की स्थिति में धारा 176 दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 के तहत जांच एवं मृत्युकालीन समीक्षा सम्बन्धी कार्य करने हेतु निम्नलिखित कॉलम नं. 2 में अंकित दिनांक के लिए कॉलम नं. 3 में अंकित न्यायालयों के पीठासीन अधिकारी जिनका नाम कॉलम नं. 04 में अंकित है, को निम्नप्रकार अधिकृत करती हूँ :–

(1) माह अगस्त, 2023 के कार्य दिवसों के दिन –

क्र. सं.	कार्य दिवसों की अवधि (अवकाशों को छोड़कर)	न्यायालय एवं न्यायक्षेत्र का नाम	नाम पीठासीन अधिकारी (श्री/श्रीमती/सुश्री) व मोबाईल नम्बर
(1)	(2)	(3)	(4)
1	01.08.2023 से 08.08.2023 तक	ए.सी.एम.एम. क्रम 02, जयपुर महानगर–द्वितीय	अर्चना गुप्ता, 9782154086
2	09.08.2023 से 16.08.2023 तक	ए.सी.एम.एम. क्रम 03, जयपुर महानगर–द्वितीय	प्रेम गढ़वाल, 9950099579
3	17.08.2023 से 24.08.2023 तक	ए.सी.एम.एम. क्रम 04, जयपुर महानगर–द्वितीय	लव प्रजापति, 9829789915
4	25.08.2023 से 31.08.2023 तक	ए.सी.एम.एम. क्रम 05, जयपुर महानगर–द्वितीय	चेतन कुमार गोयल, 9414322715

नोट–

(1) उपरोक्त कार्य दिवसों की तिथियों को उक्त कार्य किये जाने हेतु अधिकृत किये गये पीठासीन अधिकारी सम्बन्धित तिथियों को मुख्यालय का परित्याग नहीं करेंगे तथा अपने निवास पर भी उपरोक्त कार्य के निष्पादन हेतु उपलब्ध रहेंगे।

(2) विशेष परिस्थितियों में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर उपरोक्त कार्य दिवसों हेतु अधिकृत किये गये अधिकारीगण में से किसी भी अधिकारी के अवकाश पर रहने की स्थिति में आगामी क्रम पर अंकित अधिकारी उपरोक्त कार्य सम्पादित करेंगे तथा अंतिम क्रम पर अंकित अधिकारी के अवकाश पर रहने की स्थिति में क्रम 01 पर अंकित अधिकारी व उसके उपरांत पश्चातवर्ती अधिकारी के द्वारा इसी चक्रानुसार धारा 176 दण्ड प्रकिया संहिता के तहत किसी मृतक की मृत्यु के कारणों की मजिस्ट्रेट के द्वारा की जाने वाली जांच एवं अन्य मृत्युकालीन समीक्षा संबंधी कार्य किया जावेगा।

(3) विशेष परिस्थितियों में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर किसी कार्य दिवस में आधा दिवस अवकाश पर रहने वाले अधिकारी को ही उस दिन प्राप्त जांच कार्य सुपुर्द किया जाना माना जायेगा। उक्त आधे दिवस अवकाश की अवधि में केवल अत्यावश्यक कार्य ही आगामी क्रम में अंकित न्यायिक अधिकारी द्वारा निष्पादित किया जावेगा। शेष जांच एवं अन्य मृत्युकालीन समीक्षा संबंधी कार्य मूल अधिकारी द्वारा ही पूर्ण कर रिपोर्ट प्रेषित की जायेगी।

(4) उपरोक्त कॉलम नंबर 02 में वर्णित अवधि में आने वाले राजपत्रित अवकाशों में उक्त जांच कार्य करने हेतु इसी आदेश में पृथक व्यवस्था की गयी है।

(5) माह के उपरोक्त कार्य दिवसों के दिनों में किसी भी दिन आकस्मिक रूप से अवकाश घोषित होने/माननीय राज0 उच्च न्यायालय द्वारा कार्यस्थगित किये जाने की स्थिति में उक्त दिनांक के लिए अधिकृत किये गये अधिकारी द्वारा ही उस दिवस को उक्त कार्य किया जावेगा।

(6) अन्य कोई परिस्थिति उत्पन्न होने पर अद्योहस्ताक्षरकर्ता के निर्देशानुसार उक्त कार्य सम्पादित किया जा सकेगा।

(2) माह अगस्त, 2023 के राजकीय अवकाशों के दिन –

क्र. सं.	दिनांक अवकाश	नाम न्यायालय (जयपुर महानगर–द्वितीय)	नाम अधिकारी व मोबाईल (श्री/श्रीमती/सुश्री)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	06.08.2023	महानगर मजिस्ट्रेट क्रम 01, जयपुर महानगर–द्वितीय	सुमन गिठाला, 8696106500
2	09.08.2023	महानगर मजिस्ट्रेट क्रम 02, जयपुर महानगर–द्वितीय	विनोद कुमार, 9001216768

मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट
जयपुर महानगर द्वितीय

3	12.08.2023	महानगर मजिस्ट्रेट क्रम 03, जयपुर महानगर–द्वितीय	युधिष्ठिर मीणा, 9413419207
4	13.08.2023	महानगर मजिस्ट्रेट क्रम 08, जयपुर महानगर–द्वितीय	गरिमा चौधरी, 9772131055
5	15.08.2023	महानगर मजिस्ट्रेट क्रम 12, जयपुर महानगर–द्वितीय	प्रहेलिका, 9929285209
6	20.08.2023	स्पे. एम.एम. (NI Act) क्रम 09, जयपुर महानगर–द्वितीय	अमितेश कुमारी, 8696993438
7	26.08.2023	स्पे. एम.एम. (NI Act) क्रम 07, जयपुर महानगर–द्वितीय	आरुष त्रिपाठी, 9818249394
8	27.08.2023	स्पे. एम.एम. (NI Act) क्रम 04, जयपुर महानगर–द्वितीय	प्रियंका तानान, 8003552975
9	30.08.2023	महानगर मजिस्ट्रेट (उत्तर), जयपुर महानगर–द्वितीय	पुलकित शर्मा, 9928111136

<u>नोट –</u>

(1) उपरोक्त राजकीय अवकाशों हेतु अधिकृत किये गये अधिकारीगण में से किसी भी अधिकारी के अवकाश पर रहने की स्थिति में आगामी क्रम पर अंकित अधिकारी उपरोक्त कार्य सम्पादित करेंगे तथा अंतिम क्रम पर अंकित अधिकारी के अवकाश पर रहने की स्थिति में क्रम 01 पर अंकित अधिकारी व उसके उपरांत पश्चातवर्ती अधिकारी के द्वारा इसी चक्रानुसार धारा 176 दण्ड प्रकिया संहिता के तहत किसी मृतक की मृत्यु के कारणों की मजिस्ट्रेट द्वारा की जाने वाली जांच एवं अन्य मृत्युकालीन सम्बंधी कार्य किया जावेगा।

(2) उपरोक्त अवकाश की तिथियों को उक्त कार्य किये जाने हेतु अधिकृत किये गये पीठासीन अधिकारी संबंधित तिथियों को मुख्यालय का परित्याग नहीं करेंगे तथा अपने निवास पर उपरोक्त कार्य निष्पादन हेतु उपलब्ध रहेंगे।

(3) अवकाश के दिन कार्य करने हेतु अधिकृत किये गये पीठासीन अधिकारी की ड्यूटी नियत तिथि के पूर्व दिवस को कार्यालय समय समाप्ति से प्रारंभ होकर अवकाश के दिन से आगामी तिथि को कार्यालय समय प्रारंभ होने तक रहेगी।

(4) विशेष परिस्थितियों में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर अवकाश के दिन कार्य करने हेतु अधिकृत किये गये पीठासीन अधिकारी के अवकाश पर रहने/मुख्यालय छोड़ने की स्थिति में वे अपने स्थान पर कार्य करने हेतु अन्य अधिकारी का सहमति पत्र इस कार्यालय को प्रेषित कर लिखित स्वीकृति/अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही मुख्यालय का परित्याग कर सकेंगे।

D. Shrivastava
(दीप्ति श्रीवास्तव)
मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट
जयपुर महानगर–द्वितीय

क्रमांक – 2352–2364 दिनांक – 28/07/2023

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नलिखित को प्रेषित है :–

1. माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, जयपुर महानगर–द्वितीय को प्रतिलिपि प्रेषित कर निवेदन है कि यदि उपरोक्तानुसार अवकाश के दिन धारा 176 दण्ड प्रकिया संहिता के तहत किसी मृतक की मृत्यु के कारणों की मजिस्ट्रेट द्वारा की जाने वाली जांच एवं मृत्युकालीन समीक्षा संबंधी कार्य हेतु अधिकृत अधिकारी को मुख्यालय छोड़ने की अनुमति प्रदान की गई हो तो निरस्त करने की कृपा करें।
2. श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर।
3. श्रीमान अतिरिक्त महानिदेशक, ए.टी.एस./एस.ओ.जी., जयपुर महानगर को प्रतिलिपि प्रेषित कर निवेदन है कि संबंधित आरक्षी केन्द्रों को निर्देशित करने का श्रम करें।
4. श्रीमान सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर महानगर–द्वितीय को प्रतिलिपि प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्त में से किसी अधिकारी को लोक अदालत/अन्य विधिक सेवा से संबंधित कार्यक्रम हेतु अधिकृत किया हुआ हो तो उसे उक्त कार्य से उन्मुक्त किया जावे।
5. श्रीमान पुलिस आयुक्त, जयपुर महानगर।
6. श्रीमान पुलिस उपायुक्त पश्चिम/उत्तर/मुख्यालय/यातायात, जयपुर महानगर।
7. समस्त अतिरिक्त मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट/महानगर मजिस्ट्रेट/विशिष्ट महानगर मजिस्ट्रेट (एन.आई.एक्ट केसेज), जयपुर महानगर–द्वितीय।
8. पुलिस कन्ट्रोल रूम, जयपुर को समस्त आरक्षी केन्द्रों को सूचित करने हेतु।
9. अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह/जिला कारागृह, जयपुर।
10. पुलिस थाना, एस.एम.एस. हॉस्पीटल, जयपुर महानगर,
11. सिस्टम ऑफिसर, जिला न्यायालय, जयपुर महानगर द्वितीय को आदेश की प्रति प्रेषित कर लेख है कि इस आदेश से संबंधित अधिकारीगण/कर्मचारीगण/समस्त आरक्षी केन्द्र, जयपुर महानगर–द्वितीय को ई–मेल/मैसेज के द्वारा उक्त ड्यूटी बाबत सूचित करें तथा आदेश को जिला न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड़ किया जावे।
12. वरिष्ठ मुंसरिम, संस्थापन शाखा, जिला न्यायालय, जयपुर महानगर–द्वितीय
13. नोटिस बोर्ड/कार्यालय आदेश पत्रावली/संबंधित पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

D. Shrivastava
(दीप्ति श्रीवास्तव)
मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट
जयपुर महानगर–द्वितीय